कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी॰ रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C I G MARG, NEW DELHI-110 002
Phone 011-23604700 Email dir-gen@esic.nic.in
Website www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-49021/1/2025-रा.भा. दिनांक : 24-02-2026

सेवा में
1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/सभी बीमा/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव।
2. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, क.रा.बी.निगम, द्वारका, नई दिल्ली।
3. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
4. सभी प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम।
5. सभी संयुक्त निदेशक (राजभाषा), क.रा.बी.निगम।
6. सभी उप निदेशक (राजभाषा), क.रा.बी.निगम।
7. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/निदेशक (चिकित्सा) नोएडा, क.रा.बी.निगम।
8. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
9. सभी अधिष्ठाता, क.रा.बी.निगम चिकित्सा/दंत्य/नर्सिंग महाविद्यालय/पीजीएमएसआर, क.रा.बी.निगम।

विषय : क.रा.बी.निगम के 34वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के मसौदा कार्यवृत्त का प्रेषण।

महानिदेशक, क.रा.बी.निगम की अध्यक्षता में दिनांक 22-23 दिसंबर, 2025 को विशाखपट्टणम (आंध्र प्रदेश) में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 34वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मसौदा कार्यवृत्त सूचना हेतु प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित, कार्यवृत्त के अनुपालनार्थ बिंदुओं तथा इसमें किए गए निर्णयों पर यथापेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 24-02-2026
11:12:07

(श्याम सुंदर कथूरिया)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि-
1. सभी अपर आयुक्त/ निदेशक/संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक (राजभाषा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 34वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, 2025 का मसौदा कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का दो दिवसीय 34वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिनांक 22-23 दिसंबर, 2025 को विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने की। सम्मेलन में डॉ. ललन कुमार, महाप्रबंधक (राजभाषा) सेवानिवृत, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम, मुख्य अतिथि तथा श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त 'राजभाषा प्रमुख' के रूप में उपस्थित थे। इनके अतिरिक्त, श्री श्याम सुंदर कथूरिया, निदेशक (राजभाषा) व श्री सोमेन्द्र कुमार साहू, उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम भी मंचासीन थे। सम्मेलन में क.रा.बी.निगम के विभिन्न कार्यालयों एवं अस्पतालों के राजभाषा अधिकारी/राजभाषा प्रभारी अधिकारियों और अनुवाद अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक "क"** पर दी गई है।

दिनांक 22.12.2025 को सम्मेलन की शुरूआत गणमान्य अधिकारियों द्वारा भारतीय संस्कृति अनुसार दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती वंदना के साथ की गई।

इसके बाद मंचासीन अधिकारीगण का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर विधिवत स्वागत किया गया।

सम्मेलन के प्रारम्भ में श्रीमती बी.अर्चना, सहायक ने विशाखपट्टणम शहर का संक्षिप्त परिचय दिया और यहां निगम द्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा के बारे में अवगत करवाया।

श्री सोमेन्द्र कुमार साहू, उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागी मनोयोगपूर्वक सहभागिता कर अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करें तथा भाग्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध विशाखपट्टणम शहर से सुखद स्मृतियाँ संजोकर ही जाएं। उन्होंने इस सम्मेलन के विशाखपट्टणम में आयोजन हेतु माननीय महानिदेशक एवं बीमा आयुक्त महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री श्याम सुंदर कथूरिया, निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने महानिदेशक, बीमा आयुक्त, मुख्य अतिथि तथा सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करते हुए बताया कि निगम में राजभाषा-यात्रा वर्ष 1977 से शुरू हुई और राजभाषा सम्मेलन वर्ष 1982 से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सम्मेलन में होने वाली दो दिवसीय गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया। निदेशक (राजभाषा) ने उपस्थित राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों एवं प्रभारियों का उत्साहवर्धन करते हुए महानिदेशक महोदय एवं बीमा आयुक्त महोदय के निर्देशन में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महानिदेशक महोदय अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच राजभाषा सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं, यह उनकी राजभाषा के प्रति रुचि का परिचायक है। सम्मेलन में सभी क्षेत्रों से प्रतिभागी आए हैं, यहां उनके राजभाषा संबंधी सुझावों, अपेक्षाओं और समाधान पर चर्चा की जाएगी।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने महानिदेशक एवं मुख्य अतिथि सहित सभी का स्वागत किया। बीमा आयुक्त महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि 'पंचदीप' निगम का प्रतीक तथा निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले हितलाभों का द्योतक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के लागू होने से निगम का आयाम बहुत विस्तृत हुआ है तथा इसके अंतर्गत अब जोखिम भरे उद्योगों में 10 से कम कर्मचारी भी व्याप्ति में हैं। निगम के विस्तार के साथ ही बीमाकृत व्यक्ति तक विभिन्न हितलाभ हिंदी के माध्यम से सुगमता से पहुंचाए जा सकते हैं। हमें हिंदी के द्वारा ही अपनी पहुँच अपने बीमाकृत व्यक्तियों तक बनानी है। हम अन्य भाषाओं का सम्मान करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने अपील की कि ई-फाइल, आंतरिक पत्राचार एवं दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में ही निपटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही बैठकों, कार्यक्रमों और कार्यालय के विभिन्न आयोजनों में संप्रेषण हिंदी में ही हो ताकि क.रा.बी.योजना से जुड़े निम्न आय वर्ग को हमारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके तथा राजभाषा विभाग के निर्देशों का भी शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भारतीय संस्कृति से उदाहरण देते हुए कहा कि अन्य भाषाओं के सामंजस्य से ही भाषाओं का तथा हमारा विकास संभव है।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निगम में वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन करने वाले 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के निम्नलिखित कार्यालयों को मंचासीन अधिकारियों द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गई-

क्षेत्र	स्थान	विजेता कार्यालय का नाम
'क'	प्रथम	उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा
'ख'	प्रथम	उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, गुजरात
'ग'	प्रथम	क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा

तदुपरान्त वर्ष 2023-24 के दौरान आकर्षक एवं उत्कृष्ट विभागीय हिंदी गृह पत्रिका प्रकाशन हेतु 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यालयों एवं अस्पतालों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए-

स्थान	पत्रिका का नाम एवं अंक	विजेता कार्यालय /अस्पताल का नाम
'क' क्षेत्र		
प्रथम	श्रम ज्योति (अंक-9)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा
द्वितीय	मरुगंगा (अंक-16)	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, राजस्थान
तृतीय	मेवाड़ दर्पण (अंक-4)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर, राजस्थान
'ख' क्षेत्र		
प्रथम	राजभाषा विश्वामित्री (अंक-1)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा, गुजरात
द्वितीय	सतलुज धारा (अंक-2023-24)	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, पंजाब
तृतीय	सूरत तरंग	उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत, गुजरात
'ग' क्षेत्र		
प्रथम	पंचदीप कावेरी (अंक-4)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मैसुरू, कर्नाटक
द्वितीय	चेन्नै लहर (अंक-18)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै, तमिलनाडु
तृतीय	सेनानी (अंक-14)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल

इसी बीच मंचासीन अधिकारियों द्वारा निगम मुख्यालय द्वारा तैयार **'राजभाषा कार्यशाला पाठमाला'** का विमोचन भी किया गया।

डॉ. ललन कुमार, मुख्य अतिथि ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन को आवश्यक बताया। उन्होंने हिंदी के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु रूपरेखा तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी का विकास अन्य भाषाओं के सहयोग तथा भारतीय चेतना द्वारा ही संभव है। उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन में और उपलब्धियों को जोड़ने का आग्रह किया।

इस अवसर पर श्री अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक महोदय ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना तथा प्रशासनिक सुगमता का सशक्त माध्यम है, इसलिए इसे जनभाषा बनाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। हमारा दायित्व केवल निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही नहीं है बल्कि उन्हें बीमाकृत व्यक्तियों तक जनसामान्य की भाषा में समझाना तथा उपलब्ध कराना भी है, इसमें हिंदी सबसे अधिक सहायक है। हिंदी को अपनाना न केवल हमारी ज़िम्मेदारी है अपितु हिंदी राष्ट्रीयता का गौरव भी है। उन्होंने प्रासंगिक उदाहरणों के माध्यम से हिंदी भाषा की सहजता पर चर्चा की तथा अपील की कि कोई भी भाषा जितनी सरल होगी, उतनी ही व्यवहार में होगी। हम अपना मूल कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें व हिंदी पत्राचार को बढ़ाएं, इससे हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता द्वारा सामाजिक सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व निगम को सौंपा गया है तथा इससे निगम की कार्यप्रणाली बहुत विस्तृत हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से हमारे बीमाकृत व्यक्तियों को और सुगमता होगी। साथ ही **उन्होंने पूर्ण ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा सतर्कता एवं पारदर्शिता के साथ कार्यों के निपटान**

तथा सूचना प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर चलने पर बल दिया। उन्होंने राजभाषा सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए कहा कि यह हमारे लिए नई प्रेरणा, संकल्प और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पथ-प्रदर्शक बनेगा।

प्रतिभागियों ने महानिदेशक तथा बीमा आयुक्त महोदय के विचारों को गंभीरतापूर्वक समझा व संज्ञान में लिया।

तत्पश्चात, 33वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में किए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों पर कृत कार्रवाई से सविस्तार अवगत कराया गया।

क्र.सं.	निर्णयों पर कृत कार्रवाई
1	मासिक प्रगति रिपोर्ट का नया प्रारूप शीघ्र ही सभी निगम इकाइयों में लागू किया जाएगा।
2	राजभाषा संवर्ग के पात्र कार्मिकों को आशोधित आश्वस्त कैरियर प्रोन्नति (एम.ए.सी.पी.) प्रदान कर दी गई है। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद भरे जा रहे हैं तथा राजभाषा संवर्ग में रिक्त अन्य पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	वर्तमान में निगम इकाइयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं की सूची निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है।
4	क.रा.बी.निगम का नया मॉड्यूल बनाते समय द्विभाषी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा।
5	हिंदी कार्यशाला के पाठ्यक्रम में परिवर्तन अर्थात नई पाठमाला का इस राजभाषा सम्मेलन में विमोचन कर दिया गया है।
6	संयुक्त निदेशक (राजभाषा), अंचल एवं उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल के लिए स्टाफ की व्यवस्था हेतु संबंधित कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।
7	टंककों/आशुलिपिकों को देय मासिक भत्ते की राशि में वृद्धि के संबंध में राजभाषा विभाग से पत्राचार किया गया है, उत्तर प्रतीक्षित है।
8	निगम के उन दस कार्यालयों/अस्पतालों को चिह्नित किया गया, जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसमें दो-तीन उन कार्यालयों/अस्पतालों को भी शामिल किया गया, जहां अनुवाद अधिकारी न होने के बावजूद भी राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति सुदृढ़ है।
9	निगम के राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों को स्मृति आधारित अनुवाद टूल- 'कंठस्थ' (भारती – बहुभाषी अनुवाद सारथी) के प्रशिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी से पत्राचार किया गया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय तथा स्थान उपलब्ध होने पर यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
10	सभी राजभाषा अधिकारियों को लैपटॉप की सुविधा दे दी गई है। साथ ही प्रथम चरण में मुख्यालय में तैनात अनुवाद अधिकारियों को लैपटॉप दिए जाने का अनुमोदन हो चुका है। क्षेत्र इकाइयों में तैनात अनुवाद अधिकारियों को लैपटॉप दिए जाने पर बाद में विचार किया जाएगा।
11	पिछले राजभाषा सम्मेलन में भाग न ले सकने वाली इकाइयों से अनुपस्थिति के कारण प्राप्त हो चुके हैं।
12	राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को अधिकतम दो श्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाने और प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाने पर यथावत स्थिति बनाए रखने का निर्णय किया गया है।
13	निगम का वेबपेज पहले हिंदी में खुले, इसके लिए भारत सरकार के ऐसे 10 कार्यालयों के वेबपेज देख लिए गए हैं, जहां पहले वेबपेज हिंदी में खुलता है।

14	निगम के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार, आउटरीच कार्यक्रमों, सोशल प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से हिंदी में प्रचारित करने के लिए मुख्यालय की जनसंपर्क शाखा से पत्राचार किया गया है।
15	कार्यालयों/अस्पतालों आदि में प्रयोग होने वाले नामपट्टों, साइनबोर्डों इत्यादि की मानक शब्दावली को निगम द्वारा बनाई जा रही शब्दावली में शामिल किया जा रहा है।

चूंकि पिछले सम्मेलन के कार्यवृत्त के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अत: सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की गई। तत्पश्चात महानिदेशक महोदय के समक्ष 16 निगम कार्यालयों/अस्पतालों से प्राप्त 27 साझा मदों में से कुछ **महत्वपूर्ण विचारणीय मदों** पर चर्चा प्रारम्भ की गई-

मद सं. 1	**निगम की वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर हिंदी विकल्प की सुविधा**

अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति अपने निरीक्षणों में यह अपेक्षा करती है कि सरकारी कार्यालयों की वेबसाइट हिन्दी में ही खुले। जबकि निगम की वेबसाइट को पूर्व में हिंदी या अंग्रेजी में खोलने का विकल्प आता था, परन्तु अब नहीं।

इस पर महानिदेशक महोदय ने अपेक्षानुरूप कार्रवाई के निदेश दिए।

मद सं. 2	**राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिताओं की राशि में वृद्धि**

सूचित किया गया कि निगम में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा प्रतियोगिता की अधिकतम पुरस्कार राशि ₹1800/- है, जबकि अन्य सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी यह ₹5000 है।

महानिदेशक महोदय ने इस पर विधिवत प्रक्रियानुसार विचार करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

मद सं. 3	**निगम के ईआरपी एवं अन्य मॉड्यूल में द्विभाषिकता**

निगम के ईआरपी एवं अन्य मॉड्यूल की भाषायी वस्तुस्थिति जानने के बाद महानिदेशक महोदय ने कहा कि 'पंचदीप 2.0' में हिंदी में कार्य करने की सुविधा तथा द्विभाषिकता सुनिश्चित की जाए।

मद सं. 4	**अनुवाद अधिकारियों के लैपटॉप की सुविधा**

महानिदेशक महोदय ने कहा कि मुख्यालय में तैनात अनुवाद अधिकारियों को निर्धारित नीति अनुसार लैपटॉप देने का निर्णय किया जा चुका है।

उपर्युक्त मदों पर त्वरित निर्णय करने के लिए सभी प्रतिभागियों ने महानिदेशक महोदय के प्रति करतल ध्वनि से आभार व्यक्त किया।

अगले सत्र में बीमा आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में शेष सभी विचारणीय मदों पर हुई विस्तारपूर्वक चर्चा के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

मद सं. 5	**राजभाषा संवर्ग में पदोन्नति**

इस संबंध में सूचित किया गया कि निगम में राजभाषा संवर्ग के पुनर्गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है। पूरे संवर्ग की पिरामिड संरचना बनाए जाने के प्रयास जारी हैं। इससे सभी के लिए पदोन्नति के पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकेंगे।

फिलहाल राजभाषा कार्मिकों की पदोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निगम में राजभाषा संवर्ग के वेतनमान राजभाषा विभाग के अनुरूप होने के कारण एस.टी.एस. (वरिष्ठ वेतनमान) लागू करना समीचीन नहीं पाया गया।

मद सं. 6	**वेबसाइट का द्विभाषीकरण तथा राजभाषा संबंधी गतिविधियों के लिए पृष्ठ दिया जाना**

वेबसाइट पर राजभाषा संबंधी गतिविधियों के लिए पृष्ठ देने हेतु मुख्यालय में विचार किया जाएगा। निगम में प्रयुक्त सभी फॉर्मों को वेबसाइट पर एक साथ अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। निगम कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं को वेबसाइट

पर डाले जाने से संबंधित सुविधा देने के लिए जनसंपर्क शाखा से संपर्क किया जाएगा। क्षेत्र इकाइयों द्वारा राजभाषा संबंधी सभी सामग्री अपनी स्थानीय वेबसाइट/होमपेज पर डाली जा सकती है। मुख्यालय की वेबसाइट पर सभी दस्तावेज द्विभाषी अपलोड करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा।

मद सं. 7	**राजभाषा संवर्ग के पदों का सृजन/गठन**

हाल ही में निगम के 8 अस्पतालों में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद सृजित हुए है। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदों में भी यथापेक्षित वृद्धि हुई है। राजभाषा संवर्ग के पुनर्गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है। सभी इकाइयों में नियमित राजभाषा कार्मिकों की तैनाती होने तक अन्य कार्यालयों में तैनात राजभाषा कार्मिकों को कार्यभार सौंपा जाएगा। जिन कार्यालयों द्वारा राजभाषा संवर्ग के कार्मिकों को संवेदनशील कार्य सौंपे गए हैं, उनके बारे में संबंधित कार्यालय को पत्र लिखे जाएंगे। सामान्य संवर्ग के साथ अदला-बदली की प्रणाली की मद को अस्वीकृत किया गया।

मद सं. 8	**हिंदी मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र में संशोधन एवं रिपोर्ट के लिए पोर्टल**

श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा हिंदी मासिक प्रगति रिपोर्ट का नया एवं संशोधित प्रपत्र प्रदर्शित किया गया। इसे मुख्यालय स्तर से अंतिम रूप देकर सभी निगम इकाइयों में यथाशीघ्र लागू किया जाएगा। पंचदीप 2.0 के अंतर्गत नया पोर्टल बनाते समय राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्टों के लिए भी समेकित पोर्टल बनाया जाएगा।

मद सं. 9	**हिंदी संबंधी प्रशिक्षण (टंकण/कंप्यूटर/भाषा/आशुलिपि)**

यदि कर्मचारी द्वारा हिंदी टंकण के ज्ञान की लिखित घोषणा की जाती है तो उन्हें टंकण प्रशिक्षण से छूट प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि राजभाषा विभाग द्वारा मान्य व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी को हिंदी इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। टंकण के साथ-साथ वर्तमान में हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण भी पत्राचार माध्यम से उपलब्ध हो गया है। हिंदी भाषा प्रशिक्षण लीला एप्प पर ऑनलाइन उपलब्ध है तथा वहाँ से पात्र कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण पूर्व में अनिवार्य आधारभूत प्रशिक्षण था, फिलहाल यह प्रशिक्षण बंद है।

मद सं. 10	**हिंदी प्रतियोगिताएँ एवं हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं**

हिंदी टिप्पण-आलेखन योजना के संबंध में बताया गया कि इसकी मूल्यांकन पद्धति राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित की गई है तथा निगम द्वारा उसे अंगीकार किया गया है, अतः इसमें संशोधन सम्भव नहीं है। निगम की सभी प्रतियोगिताओं/प्रोत्साहन योजनाओं एवं तत्संबंधी अनुदेशों को एक टैब बनवाकर मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। राजभाषा शाखा में तैनात राजभाषा संवर्ग से इतर कार्मिकों को हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के अनुरोध की मुख्यालय में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

मद सं. 11	**वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को अधीक्षण का दायित्व दिया जाना**

तत्संबंध में मुख्यालय में समीक्षा कर निर्णय किया जाएगा।

मद सं. 12	**हिंदी संगोष्ठी का आयोजन**

हिंदी संगोष्ठी का आयोजन संबंधित कार्यालय द्वारा मितव्ययिता का ध्यान रखते हुए अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर किया जा सकता है। इसे राजभाषा पखवाड़ा आयोजन हेतु संस्वीकृत राशि में से भी किया जा सकता है।

मद सं. 13	**हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु पुस्तकों की सूची की अनुपलब्धता**

राजभाषा विभाग द्वारा कार्यालय में हिंदी की उपयोगी पुस्तकों की संस्तुति समय-समय पर की जाती है। कार्यालय द्वारा अपेक्षित पुस्तकों का क्रय किया जा सकता है।

मद सं. 14	**अधिकारियों हेतु हिंदी कार्यशाला (ऑनलाइन/ऑफलाइन)**

निगम के अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें हिंदी शब्दावली के प्रयोग के संबंध में भी व्याख्यान रखा जाएगा।

मद सं. 15	राजभाषा संवर्ग को सुविधाएं

अनुवाद अधिकारियों को मोबाइल बिल और समाचार-पत्र व्यय प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यालय में विचार किया जाएगा।

मद सं. 16	अनुवाद अधिकारियों को प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी से संपर्क कर अनुवाद अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कराया जाएगा तथा राजभाषा संवर्ग के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रबंधन के विषय को भी शामिल किया जाएगा। अनुवाद अधिकारियों को अनुवाद प्रशिक्षण तथा ई-ऑफिस में हिंदी में कार्य संबंधी प्रशिक्षण को प्रवेशन प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। नव-नियुक्त अनुवाद अधिकारियों के लिए अनुवाद एवं कार्यालयीन कार्य संबंधी प्रशिक्षण यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा

मद सं. 17	सम्मेलन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के साथ-साथ अनुवाद अधिकारी की प्रतिभागिता

राजभाषा सम्मेलन में शील्ड विजेता एवं सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार विजेता कार्यालयों से एक से अधिक कार्मिक की प्रतिभागिता तथा जिन कार्यालयों में सहायक निदेशक (राजभाषा) तैनात है, वहाँ से सहायक निदेशक (राजभाषा) के साथ अनुवाद अधिकारी की प्रतिभागिता की अनुमति दिए जाने पर मुख्यालय में विचार किया जाएगा।

मद सं. 18	ईआरपी एवं निगम के अन्य मॉड्यूल

निगम कार्मिकों के विवरण डाटाबेस में हिंदी एवं अंग्रेजी में होने तथा हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर की सुविधा नए मॉड्यूल में प्रदान की जाएगी। ईआरपी मॉड्यूल में हिंदी टंकण की सुविधा के लिए मुख्यालय की संबंधित टीम से तत्काल संपर्क किया जाएगा तथा साथ ही हिंदी मासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र भी समावेशित करने हेतु सौंपा जाएगा।

मद सं. 19	ईआरपी में कार्यालयों के लिए नया स्थानांतरण विकल्प दिया जाना

ईआरपी में मौजूदा स्थानांतरण व्यवस्था भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप है, अतः इसमें संशोधन सम्भव नहीं है।

मद सं. 20	अनुवाद अधिकारियों के लिए आपसी स्थानांतरण (Mutual Transfer) की सुविधा

इस संबंध में राजभाषा संवर्ग सहित सभी संवर्गों के लिए नीति बनाने हेतु प्रयास जारी हैं।

मद सं. 21	ई-ऑफिस व ई-मेल

ई-ऑफिस में रिसीप्ट की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी के साथ-साथ द्विभाषी तथा क्षेत्रीय भाषा में भी चयन का विकल्प देने तथा हिंदी हस्ताक्षर की सुविधा देने हेतु मुख्यालय की संबंधित शाखा एवं एनआइसी से संपर्क किया जाएगा। तथापि डीएससी के माध्यम से भी हस्ताक्षर हिंदी में किए जा सकते हैं।

मद सं. 22	उप निदेशक (राजभाषा) के लिए स्टाफ की व्यवस्था

संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जाएगा तथा कार्रवाई न होने पर व्यक्तिगत पत्र जारी किया जाएगा।

मद सं. 23	हिंदी कार्यशाला की मानदेय राशि में वृद्धि

हिंदी कार्यशाला की मानदेय राशि राजभाषा विभाग के अनुदेशानुरूप है, अतः इसमें निगम द्वारा वृद्धि संभव नहीं है।

मद सं. 24	एसिक मार्गदर्शिका/एकीकृत शब्दावली तैयार करना तथा ई-निरीक्षण प्रणाली लागू करना

निगम की एसिक मार्गदर्शिका को अद्यतन किया जा रहा है तथा आगामी राजभाषा सम्मेलन में विमोचित किया जाएगा। ई-निरीक्षण प्रणाली व्यावहारिक नहीं होने के कारण इस संबंध में कार्रवाई अपेक्षित नहीं पाई गई।

मद सं. 25	राजभाषा कार्यान्वयन हेतु शील्ड पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि

इस संबंध में राजभाषा विभाग के निदेशों की समीक्षा कर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

मद सं. 26	राजभाषा शाखा में सहायक स्टाफ की तैनाती हेतु कार्मिकों की संस्वीकृति

इस बारे में मुख्यालय से पत्र जारी कर सभी कार्यालयों को निदेश दिए जाएंगे कि राजभाषा शाखा में अपेक्षित कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

मद सं. 27	श्रेष्ठ निगम इकाई के मूल्यांकन में राजभाषा की मद सम्मिलित करना

निगम के शीर्ष अधिकारियों द्वारा इकाइयों के निरीक्षण-प्रपत्र तथा एसिक पखवाड़ा के दौरान निगम कार्यालयों को पुरस्कृत किए जाने वाले मापदण्डों में कम-से-कम विराकास की बैठकों, रिपोर्टों के प्रेषण एवं नराकास की बैठकों में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित करने के विषय पर मुख्यालय में चर्चा कर कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा

दिनांक 23.12.2025 के कार्यक्रम में बीमा आयुक्त महोदय के समक्ष देशभर की निगम इकाइयों से प्राप्त वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान पाई गई कमियों से संबंधित इकाइयों को अवगत कराया गया तथा तिमाही बैठकें, कार्यशाला नियमित रूप से करने, तिमाही रिपोर्टें निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने के निदेश दिए गए। बीमा आयुक्त महोदय ने, जिन इकाइयों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके कार्य की सराहना की। इसके साथ-साथ निगम इकाइयों द्वारा आयोजित राजभाषा पखवाड़ा की गतिविधियों के चित्रों को समेकित करते हुए एक सुंदर प्रस्तुति भी रखी गई।

इसके पश्चात श्री प्रणव कुमार, संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा तथा श्री श्याम प्रसाद, सहायक निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम ने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत "कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आए बदलाव" विषय पर अपने व्याख्यान के दौरान सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि इसके द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक कानूनी संरचना तैयार की गई है, ताकि बीमा, पेंशन, उपदान, मातृत्व हितलाभ आदि का अधिकार सुरक्षित हो सके। नई संहिता में क.रा.बी.अधिनियम तथा क.भ.नि.अधिनियम को जोड़ा गया है तथा इससे निगम की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा।

तदुपरांत निगम के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण अंचल के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और उप निदेशक (राजभाषा) ने अपने-अपने अंचलों और उप अंचलों में राजभाषा संबंधी कार्यों/कठिनाइयों पर अपने विचार व्यक्त किए।

श्री सूर्य प्रकाश, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पूर्व तथा पूर्वोत्तर (अतिरिक्त प्रभार) अंचल ने संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के मद्देनजर मूल कार्य हिंदी में करने, हिंदी कार्यशाला तथा विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में करने, कार्मिकों को हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने, पुस्तकों पर नियमानुसार व्यय किए जाने तथा पात्र कार्मिकों को भाषा/टंकण/आशुलिपिक प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दिलवाने पर बल दिया।

श्री त्रिरत्न, उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल (मध्य) ने हिंदी मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा उक्त रिपोर्ट की संबंधित कार्यालय द्वारा की गई समीक्षा के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजे जाने, शाखाओं/शाखा कार्यालयों के गहन निरीक्षण, विराकास बैठकों के दौरान सदस्यों को अपेक्षित दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाने, ई-ऑफिस में नाम एवं पदनाम द्विभाषी रूप में करवाए जाने, शाखा कार्यालयों द्वारा हिंदी पत्रिका/समाचार पत्र के क्रय के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निदेश दिए जाने पर बल दिया।

श्रीमती मीनू सरदार, उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल (पूर्व तथा पूर्वोत्तर) ने अपने उप अंचल के कार्यालयों, विशेषतः क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी और अस्पताल, आदित्य पुर द्वारा हिंदी मासिक प्रगति रिपोर्ट समय पर न भेजे जाने के संबंध में अवगत कराया। बीमा आयुक्त महोदय द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया। संबंधित अधिकारी ने झारसुगुड़ा अस्पताल में राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य अन्य कार्यालय में तैनात किसी राजभाषा कार्मिक को सौंपे जाने तथा मुख्यालय द्वारा सभी रिपोर्टों के प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में तैयार कर जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में स्थित कार्यालयों से आवश्यकतानुसार अनुवाद भेजने का भी अनुरोध किया।

श्रीमती अंकिता बनर्जी, उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल (पश्चिम) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विगत वर्ष के दौरान 7 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया तथा 177 मासिक रिपोर्टों की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित कार्यालयों से अनुपालन रिपोर्ट विलंब से प्राप्त होने पर खेद व्यक्त किया तथा इसे समयानुसार भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के कई कार्यालयों द्वारा राजभाषा विभाग एवं नराकास से पुरस्कार प्राप्त होने पर प्रसन्नता भी व्यक्त की, साथ ही नव-नियुक्त अनुवाद अधिकारियों से कार्य को पूर्ण गंभीरता से सीखने की भी अपील की।

श्री राजेश शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), उप अंचल (दक्षिण) ने बताया कि उनके द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु नियमानुसार कार्य किए गए हैं तथा विगत वर्ष के दौरान उनके द्वारा विजयवाड़ा में अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। साथ ही बताया गया कि उनके द्वारा नियमित रूप से राजभाषा निरीक्षण किए जा रहे हैं तथा राजभाषा शाखा के कार्यों की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई जा रही है।

मुख्यालय की अपेक्षाएं

1. कुछ कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट विलंब से एवं अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है, कृपया प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक रिपोर्ट में पूर्ण सूचना/आंकड़े भरकर भेजें। मुख्यालय द्वारा की गई तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा पर अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजें।
2. रिपोर्ट/सूचना कई माध्यमों, यथा- डाक, ई-मेल एवं ई-ऑफिस के माध्यम से कई प्राप्तकर्ताओं (मल्टीपल रेसिपिएंट) को न भेजी जाए। रिपोर्ट यथासम्भव ई-ऑफिस से ही भेजी जाए। ई-मेल से भेजते समय दस्तावेजों को अलग-अलग स्कैन न किया जाए तथा प्रेषण पत्र+रिपोर्ट+प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन करके एक पीडीएफ बनाकर प्रेषित किया जाए।
3. संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण संबंधी प्रश्नावली में पूर्ण एवं सटीक जानकारी दी जाए तथा निर्धारित समय पर प्रश्नावली का मसौदा अनुलग्नकों सहित मुख्यालय भेजा जाए। निरीक्षण से संबंधित सभी कार्रवाई 'आश्वासन' एवं 'ध्यान देने योग्य बातें' पर अनुपालन रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर तय समय पर पूर्ण की जाए।
4. संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से संबंधित बजट का समायोजन निरीक्षण उपरांत अधिकतम दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से संबंधित बिलों/दस्तावेजों की स्थानीय लेखापरीक्षित सत्यापित प्रतियों एवं पूर्ण विवरण सहित यथाशीघ्र मुख्यालय भेजा जाए।
5. सभी इकाइयां विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त नियमित रूप से मुख्यालय भेजें। मुख्यालय द्वारा कार्यवृत्त पर की गई समीक्षा की अनुपालन रिपोर्ट भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. अनुवाद अधिकारियों का अनुवाद प्रशिक्षण हो जाने पर, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के साथ सूचना मुख्यालय को अवश्य भेजी जाए।
7. व्यक्तिशः आदेश की नमूना प्रति के साथ, जितने कार्मिकों को आदेश जारी किए गए हैं, उनकी सूची अवश्य संलग्न की जाए।
8. निगम की कई इकाइयों से विभिन्न विषयों पर अभ्यावेदन ई-मेल द्वारा सीधे बीमा आयुक्त/निदेशक (राजभाषा)/संयुक्त निदेशक (राजभाषा) को भेजे जा रहे हैं। इन्हें उचित माध्यम द्वारा ही भेजा जाए।
9. गृह मंत्रालय एवं मुख्यालय के राजभाषा सम्मेलन में प्रतिभागिता संबंधी नामांकन क्रमशः भारत सरकार, राजभाषा विभाग तथा मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के निर्देशानुसार हो एवं यात्रा भत्ता, आदि नियमानुसार और पात्रतानुसार हो।
10. कार्यालयों में आयोजित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे-
    - **क)** हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना
    - **ख)** मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन योजना
    - **ग)** अंग्रेजी के अतिरिक्त टंकण/आशुलिपि हिंदी में करने पर पुरस्कार
    - **घ)** अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने पर पुरस्कार आदि के अंतर्गत प्रदान किए गए पुरस्कारों की सूचना बहुत कम कार्यालयों/इकाइयों से प्राप्त हो रही है। सभी कार्यालय मुख्यालय को सूचना भिजवाएं और यदि कार्यालय का कोई भी कार्मिक पुरस्कृत नहीं है, तो 'शून्य' रिपोर्ट भिजवाई जाए।
11. इकाइयों में 'अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने पर पुरस्कार योजना' का प्रचार-प्रसार किया जाए क्योंकि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अधिकारियों की सूचना मुख्यालय में प्राप्त नहीं हो रही है।
12. सभी इकाइयां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण करें।

13. देशभर में स्थित राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से मुख्यालय में पत्र प्राप्त होते रहते हैं कि निगम के क्षेत्र विशेष के कार्यालय प्रमुख द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग नहीं लिया गया। अत: सभी कार्यालय प्रमुख इन बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित करें।
14. कई इकाइयों द्वारा बीमा आयुक्त (राजभाषा) को संबोधित मासिक अर्ध-शासकीय पत्र निर्धारित संरूप, (फॉर्मेट) में नहीं भेजा जा रहा है। अर्ध-शासकीय पत्र निर्धारित संरूप में ही भिजवाए।

सम्मेलन में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय

(कार्रवाई – क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/महाविद्यालयों/संस्थानों/राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी स्तर पर अपेक्षित)

1. सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यालय भेजी जाने वाली प्रत्येक सूचना/पत्र स्पष्ट एवं पूर्ण हो।
2. राजभाषा सम्मेलन में केवल राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित मदें ही भेजी जाएं।
3. संगोष्ठी का आयोजन कार्यालयों द्वारा मितव्यतिता का ध्यान रखते हुए अपने स्तर पर किया जा सकता है।
4. सभी कार्यालय राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाने के उपरांत शाखाओं को विनिर्दिष्ट अवश्य कराएं तथा प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल व्यक्तिशः आदेश जारी करें। ऐसे मामले में अप्रैल माह की प्रतीक्षा न की जाए।
5. टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जहां नियमित टंकण/भाषा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां प्रशिक्षण पत्राचार/निजी माध्यम से प्रदान कराया जाए।
6. पुस्तकों की खरीद करते समय हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% राशि अवश्य व्यय की जाए।
7. अनुवाद में एकरूपता के लिए समान शब्दावली का उपयोग किया जाए। अनुवाद अधिकारियों द्वारा कार्यों विशेष रूप से अनुवाद कार्य का रिकॉर्ड अवश्य रखा जाए तथा संपर्क डायरी बनाई जाए एवं संबंधित अधिकारी द्वारा इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए।
8. इकाइयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक तिमाही के 45 दिन के भीतर नियमित रूप से इसका आयोजन किया जाए।
9. कार्मिकों के हिंदी ज्ञान संबंधी रोस्टर को नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।
10. हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित की जाए।
11. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त में विगत तिमाही के आंकड़ों का उल्लेख अवश्य किया जाए और कार्यवृत्त मुख्यालय की राजभाषा शाखा को प्रेषित किया जाए।
12. संबंधित कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त कार्यभार पर आने वाले राजभाषा कार्मिकों के लिए अपेक्षित स्टाफ तथा संभार (लॉजिस्टिक) उपलब्ध कराए जाएं।
13. सभी कार्यालय/अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता अवश्य लें।
14. प्रत्येक तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजी जाए तथा इसका प्रिंट प्रमाण-पत्र सहित तत्काल मुख्यालय भेजा जाए।
15. क.रा.बी.निगम में प्रचलित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यालय के कार्मिकों के बीच प्रचार-प्रसार करें और निर्धारित/निश्चित समय के भीतर कार्रवाई कर पात्र कार्मिकों को पुरस्कृत किया जाए।
16. मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट/विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों पर की गई समीक्षाओं संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से समयानुसार मुख्यालय भेजें।

17. विभिन्न विषयक रिपोर्टें एक साथ एक ही अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न करके ई-मेल द्वारा प्रेषित न की जाएं। विषयवार रिपोर्ट अलग-अलग अग्रेषण पत्र के साथ भेजी जाए।
18. एक ही रिपोर्ट के पृष्ठ अलग-अलग स्कैन करके ई-मेल द्वारा प्रेषित न किए जाएं। रिपोर्ट के सभी पृष्ठों को एक साथ स्कैन करके एक पीडीएफ बनाकर प्रेषित किया जाए।
19. किसी भी पत्र अथवा रिपोर्ट को कई माध्यमों, यथा- डाक द्वारा, ई-मेल एवं ई-ऑफिस के माध्यम से एकाधिक प्राप्तकर्ताओं (मल्टिपल रिसीपेंट) को प्रेषित न किया जाए।
20. सम्मेलन के कार्यवृत्त पर कार्रवाई तत्काल/शीघ्रातिशीघ्र की जाए तथा कार्रवाई रिपोर्ट 6 माह के भीतर मुख्यालय भेजी जाए।
21. सम्मेलन में प्रतिभागिता करने वाले कार्मिक सम्मेलन से लौटने के बाद अपने-अपने कार्यालय-प्रमुखों को सम्मेलन में हुई चर्चा/विचार-विमर्श की संक्षिप्त रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
22. विभिन्न विषयों से संबंधित अभ्यावेदन ई-मेल द्वारा सीधे बीमा आयुक्त/निदेशक (राजभाषा)/संयुक्त निदेशक (राजभाषा) को उचित माध्यम द्वारा भिजवाए जाएं।
23. बीमा आयुक्त (राजभाषा) को संबोधित मासिक अर्ध-शासकीय पत्र निर्धारित संरूप, (फॉर्मेट) में ही भिजवाए।

बीमा आयुक्त ने महानिदेशक महोदय के प्रति सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आभार प्रकट किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी प्रतिभागियों को दो दिन सम्मेलन में सहभागिता करने के लिए धन्यवाद एवं शुभकामनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने यह भी निदेश दिए कि किसी भी स्थान अथवा शाखा में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सभी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें। साथ ही छुट्टी/अनुपस्थिति की सूचना संबंधित अधिकारियों को अवश्य दी जाए ताकि अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। सभी अधिकारी/कर्मचारी विशेष रूप से नव-नियुक्त कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही दिशा में मार्गदर्शन लें। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपील भी की कि सम्मेलन में प्राप्त निदेशों को अपने साथियों को भी बताए तथा राजभाषा की ज्योति को जलाए रखें।

सम्मेलन के समापन सत्र में श्री श्याम कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय ने अनुरोध किया कि लिंक राजभाषा अधिकारियों द्वारा, लिंक किए गए कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य किए जाएं। उन्होंने महानिदेशक महोदय तथा बीमा आयुक्त महोदय द्वारा सम्मेलन की अध्यक्षता करने पर आभार व्यक्त किया और मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश दिए जाने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सहयोग किए जाने हेतु सभी का अलग-अलग धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यालय स्टाफ और सम्मेलन की व्यवस्था से जुड़े समस्त कार्मिकों, प्रतिनिधियों, व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही राजभाषा सम्मेलन आयोजन की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि इससे निगम कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में वृद्धि भी होगी तथा हमें संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान किसी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अगले वर्ष पुनः मिलन की कामना के साथ विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश में आयोजित 34वां दो दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन संपन्न हुआ।

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 24-02-2026
11:08:21

(श्याम सुंदर कथूरिया)
निदेशक (राजभाषा)

अनुलग्नक "क"

दिनांक 22-23 दिसंबर, 2025 को विशाखपट्टणम, आंध्र प्रदेश में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 34वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	पदनाम	कार्यालय
1.	श्याम सुंदर कथूरिया	निदेशक (राजभाषा)	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
2.	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
3.	सूर्य प्रकाश	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
4.	प्रणव कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा
5.	अमित कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, के.के.नगर, चेन्नै
6.	त्रिरत्न	उप निदेशक (राजभाषा)	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
7.	राजेश शर्मा	उप निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै, तमिलनाडु
8.	मीनू सरदार	उप निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
9.	अंकिता बनर्जी	उप निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई
10.	मुकेश चंद मीना	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर
11.	मंजू रानी	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लुधियाना
12.	टेसीमोल जेकब	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, आश्रामम, केरल
13.	मनोज कुमार गुप्ता	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, लखनऊ
14.	रीता रानी	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल
15.	संजय कुमार	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राँची
16.	महेश डी. परीख	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, वड़ोदरा
17.	राजीव कुमार	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल,अंधेरी, मुंबई
18.	डॉ. छवि झा	बीमा चिकित्सा अधिकारी-ग्रेड-II	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बरेली
19.	बैजनाथ मंडल	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, पीण्या
20.	आर. विग्नेश	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोयंबतूर
21.	दीपक कुमार मीना	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर
22.	श्री एस. विजयन	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, तिरुनेलवेली
23.	के.सी. बसुमतारी	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, तिनसुकिया
24.	रामराज मीना	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल,राजाजी नगर, बेंगलुरु
25.	गणेश नारायण मीना	उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, कोल्हापुर
26.	रोजलीन हेमरोम	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
27.	डॉ. किरण अय्यर वी.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै, तमिलनाडु
28.	रमेश साव	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर
29.	अभिनव प्रकाश	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल
30.	बृजेश मिश्रा	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद
31.	कमल राम प्रजापत	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात
32.	डॉ. स्वाति सोनल	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा
33.	मनोज तंवर	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब, चंडीगढ़
34.	संत कुमार पाण्डेय	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

35.	प्रमोद कुमार निराला	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
36.	डॉ. स्वीटी यादव	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा
37.	रमिता सिंह	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, पीण्या, कर्नाटक
38.	श्रद्धा वर्मा	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
39.	अनवर अली	सहायक निदेशक (राजभाषा)	निदेशालय (दिल्ली) चिकित्सा
40.	विजय कुमार निषाद	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
41.	श्वेता सिन्हा	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु, कर्नाटक
42.	सुनील कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर
43.	सतीश कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना
44.	सीबा अनिल कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर
45.	अजीत कुमार शर्मा	सहायक निदेशक (राजभाषा)	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
46.	निरंजन कुमार सामरिया	सहायक निदेशक (राजभाषा)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे
47.	ऋतु गंभीर	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, वापी
48.	मनीष कुमार	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत
49.	सरवन कुमार एस.	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु, कर्नाटक
50.	श्री एस.वी.शास्त्री	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, उद्योगमण्डल
51.	सत्यवान सिंह	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर
52.	जी.कृष्णा	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, काकीनाड़
53.	एम.मधुसूदन	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुपति
54.	संजीव कुमार शाही	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, वाराणसी
55.	शिवाजी नारायण पोल	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा
56.	राकेश कुमार सिंह	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बा.निगम अस्पताल, बिबवेवाड़ी, पुणे.
57.	प्रदीप बेहरा	सहायक निदेशक (राजभाषा प्रभारी)	क.रा.बी.निगम अस्पताल, अंगुल
58.	अमित इंदौरिया	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम महाविद्यालय एवं अस्पताल, जयपुर
59.	पोलीकार्प सोरेंग	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम
60.	बाबू लाल मीणा	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी
61.	रविन्द्र कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
62.	राजेश कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
63.	बिकास कुमार भारती	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
64.	दोमीनिक केरकेट्टा	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
65.	शिव शंकर सिंह	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी
66.	राजदीप सेन	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम सामान्य अस्पताल, नरोड़ा
67.	राकेश कुमार सहनी	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, असम
68.	ज्योत्स्ना वरुण	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख
69.	सुनीता कुमारी शर्मा	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता
70.	बृजेश कुमार सुमन	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर
71.	रेणु खरे	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली
72.	पवन कुमार	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, मानेसर, हरियाणा
73.	विनीता कुकरेती	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा/उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम का प्रतिनिधित्व
74.	नेहा शर्मा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली

75.	नवीन कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नोएडा
76.	सरीना विक्रम यादव	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, अंकलेश्वर, गुजरात
77.	मेघा गुप्ता	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, जोका
78.	चंदा राय	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
79.	रण सिंह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु तथा उप क्षेत्रीय कार्यलय, मैसूर का प्रतिनिधित्व
80.	प्रज्ञा शर्मा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, रांची
81.	नेहा शर्मा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, रामदरबार, चंडीगढ़
82.	नेहांजलि शर्मा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, भिवाड़ी, राजस्थान
83.	संजय तिवारी	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै
84.	कुमारी शिखा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक
85.	स्नेहा भास्कर	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला
86.	धर्मेंद्र सिंह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर
87.	रुमू मिस्त्री	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुअनंतपुरम
88.	आकाश पंडित	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे
89.	प्रशांत साहू	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नंदनगरी, दिल्ली
90.	राज कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाना
91.	रोहित कुमार साह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम
92.	नवीन कुमार यादव	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, फुलवारी शरीफ, पटना
93.	गणेश प्रसाद यादव	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बिहटा
94.	अंकित राव	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, बापूनगर, अहमदाबाद
95.	गणेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, उदयपुर
96.	स्वेता भगत	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, इंदौर
97.	निकुंज एन.आर.किस्कू	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, रायपुर
98.	श्वेता सिंह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, साहिबाबाद
99.	सुरेश कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
100.	विक्रांत सिंह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली
101.	मुकेश मान	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, सनथ नगर, हैदराबाद
102.	पापोरी चक्रवर्ती	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बेलतला, गुवाहाटी
103.	सरोज कुमार यादव	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, आदित्यपुर
104.	अमिता एस.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड
105.	वरुण प्रताप सिंह	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, रुद्रपुर
106.	अजय कुमार हरिजन	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उप क्षेत्रीय कार्यालय, सेलम
107.	स्नेहलता नागर	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	क.रा.बी.निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर